फाईल नं0-23-9002(002)/8/2021लोक निर्माण अनुभाग-9
संख्या-141/2021/आई0/97127-लोक निर्माण अनुभाग-9

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद कानपुर नगर के 01 कार्य हेतु लैप्स धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-517/7ए, दिनांक 25.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद कानपुर नगर के 01 कार्य (रहटी आईमा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य) हेतु शासनादेश संख्या-124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0सी0पी0/2019, दिनांक 09.12.2019 द्वारा रू0 15.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रू0 6.04 लाख एवं शासनादेश संख्या-64/2021/370/23-9-2020-02एस0सी0पी0/2019, दिनांक 19.03.2020 द्वारा रू0 1.46 लाख द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। इस प्रकार जनपद कानपुर नगर के उक्त 01 कार्य हेतु अब तक (प्रथम एवं द्वितीय किस्त) के रूप में कुल रू0 7.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी , किन्तु उक्त धनराशि रू0 7.50 लाख प्रान्तीय खण्ड , लो0नि0वि0 कानपुर नगर को प्राप्त न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी है। अत: उक्त धनराशि रू0 7.50 लाख को वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुन: आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन पूर्व में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत् उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद कानपुर नगर के निम्नलिखित सूची में उल्लिखित 01 कार्य हेतु स्तम्भ-8 में उल्लिखित लैप्स धनराशि रू0 7,50,000/- (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) को स्तम्भ-10 के अनुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या व दि 0	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटित धनराशि	लैप्स धनराशि	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कानपुर नगर	रहटी आईमा सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य	124/2019/ आ 0-125(1)/23-9-2019, दिनांक 09.12.2019 एवं 64/2020/ 370/23-9-2020-02एससीपी/2020 , दि0 19.03.2020	0.30	15.09	7.50	7.50	7.50	7.50

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1001-दस-2021-2022, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त तद दिनाक</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
12- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव